

**न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0-16, देवरिया**

सत्र वाद संख्या-57 / 2020
मुकदमा अपराध सं0-143 / 2019
सरकार बनाम विपिन यादव उर्फ नेउर
धारा-8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना-भटनी, जनपद-देवरिया।

06.01.2022

पत्रावली पेश हुई। सत्र परीक्षण पुकारा गया। अभियुक्त विपिन यादव उर्फ नेउर न्यायालय उपस्थित आया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एन0डी0पी0एस0एक्ट तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का आवलोकन किया गया।

विशेष लोक अभियोजक एन0डी0पी0एस0एक्ट द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन केस का विस्तार से वर्णन किया गया एवं अभियोजन अभिलेखों को सन्दर्भित किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा-8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त सबूत एवं साक्ष्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा-8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धारा के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

आरोप पत्र में अंकित साक्षीगण को जरिये सम्मन दिनांक-27.01.2022 के लिये तलब किया जाये। अभियोजन पक्ष इस सम्बंध में आवश्यक पैरवी करें।

दिनांक-06.01.2022

(लोकेश कुमार)
विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0-16, देवरिया

**न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0-16, देवरिया**

सत्र वाद संख्या-57 / 2020
मुकदमा अपराध सं0-143 / 2019
सरकार बनाम विपिन यादव उर्फ नेउर
धारा-8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना-भटनी, जनपद-देवरिया।

आरोप

मैं, लोकेश कुमार अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश, (एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0-16, देवरिया, आप अभियुक्त **विपिन यादव उर्फ नेउर पुत्र राजेन्दर यादव** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ-

यह कि आप अभियुक्त दिनांक-12.10.2019 को समय 12:40 बजे बहदस्थान-केरवनिया पुल के बन्धे के पास से पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास से मिली सूचना के आधार पर पकड़े गये एवं जामा तलाशी लिये जाने पर आपके पास से काली पालिथीन में गुलाबी कलर का नशीला पाउडर अल्प्राजोलम जिसकी मात्रा 90ग्राम थी, बरामद की गयी जिसको रखने के सम्बंध में आपके पास कोई प्राधिकार नहीं था। आपका उक्त कृत्य भा0दं0सं0 की धारा-8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अधीन दण्डनीय है तथा जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-06.01.2022	(लोकेश कुमार) विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0-16, देवरिया
-------------------	--

अभियुक्त का प्रतिकथन-

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा उसके द्वारा विचारण की माँग की गयी।

दिनांक-06.01.2022	(लोकेश कुमार) विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0-16, देवरिया
-------------------	--